ालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर ऑन लाईन नं. GCMS 2024/6

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 06/2024

श्री हंसराज गोदारा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री जसकरण सिंह पुत्र श्री अमृतपाल सिंह (विकेता व मालिक) मै. जमींदारा मिल्क सेन्टर शॉप न. 5, 06 जेड करणपुर रोड, श्रीगंगानगर।

अभियुक्तगण

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा

एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51

निर्णय

दिनांकः 30.05.2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी का गजट नोटिफिकेशन नमूना संग्रहण के दिवस कंमांक संख्या एफ 5(1) चिस्वा. / ग्रुप–3/2022 दिनांक 02.12.2022 के गजट में भाग 1 (ख) पर प्रकाशित हुआ है व वर्तमान में क्रमांक– प.5 (01) चिस्वा/ग्रुप 3/2023/10018 दिनांक 15.12.2023 द्वारा अधिसूचित किया है व परिवादी का नमूना दिवस को पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुकत (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय, राजस्थान, जयपुर के आदेश कंमांक आयुक्ता/खासुऔनि/संस्था/2022/6235 खासुऔनि/संस्था/2022/62 दिनांक 22. 12.2022 के अनुसार जिला श्री गंगानगर व वर्तमान में पत्र क्रमांक आयुक्ता/संस्था. /2023 / 10077 दिनांक 26.12.2023 किया गया है एवं संसोधित आदेश क्रमाक आयुक्ता०/ खासुऔनि/संस्था/2022/6360 दिनांक 26.12.2022 है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 16.09.2023 को समय 09:10 एएम वजे **श्री जसकरण सिंह पुत्र श्री अमृतपाल सिंह (विकेता व मालिक) मैसर्स जमींदारा मिल्क सेन्टर शॉप न.5, 6 जेड, करणपुर रोड, श्रीगंगानगर** पर पहुँचे। मौके पर विकेता **श्री जसकरण सिंह पुत्र श्री अमृतपाल सिंह (विक्रेता व मालिक)** को अपना परिचय दे कर संस्थान पर रखे Milk के बारे मे जानकारी चाही इस पर स्वंय को मालिक बताया व संस्थान में सिल्वर केन मे रखे लगभग 30 लीटर Cow Milk को आमजन में बेचान वास्ते बताया जिनमें मिलावट का शक होने पर विक्रेता से Cow Milk नमूना जाँच वास्ते लेने की इच्छा विक्रेता को फॉर्म न. 5ए भरकर देते हुऐ वयक्त की मोके पर ही विक्रेता को फॉर्म न. 5 ए भरकर दिया जिस पर विक्रेता व गवाहन के व आवेदक ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म न 5ए न्याय निर्णयन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण किया और आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध 30 लीटर Cow Milk में से 2 लीटर विक्रेता से खरीद कर लिया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त कयशुदा Cow Milk का नगद भुगतान 96 रूपये किया तथा केशमीमो वनवाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर हैं और आवेदक के भी हस्ताक्षर हैं। केशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियों को तैयार कर खाद्यकारोवारकर्ता एवं विक्रेता तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री जसकरण सिंह पुत्र श्री अमृतपाल सिंह (विकेता व मालिक)** एवं गवाहान ने

अति० जिला कलैक्टर (प्रशा...)
श्रीगंगानगर (राज.)

ने पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं **श्री जसकरण सिंह पुत्र श्री अमृतपाल सिंह (विक्रेता व मालिक)** को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म सं. 5 ए मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा Cow Milk 02 लीटर को एकरूप कर बराबर भागों में बांटकर 04 बोतलों में भरकर लिया। प्रत्येक बोतल में परिरक्षक Formilin की 40 बूंदे डालकर ढक्कन को कसाकर बंद किये और 4 बोतलों पर लेबल तैयार कर टेप से चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड एवं क्रमांक के–1994 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं **के–1994** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं विकेता तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री जसकरण सिंह पुत्र श्री अमृतपाल सिंह (विक्रेता व मालिक)** एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेपक बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की और दो फार्म सं. 06 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्तक पर रसीद प्राप्त की एवं शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों और चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :–:L.S./1518/Act/2023/1518 Dated 29.09.2023 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-1994 Substandard Food** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त **श्री जसकरण सिंह पुत्र श्री अमृतपाल सिंह (विकेता व मालिक) मै. जमींदारा मिल्क सेन्टर शॉप न. 5, 06 जेड करणपुर रोड, श्रीगंगानगर** द्वारा अमानक स्तर का **COW MIlk** विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii)/51 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 15.01.2024 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त के अधिवक्ता को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपने जवाव में कथन किया कि प्रार्थी दुकान जमीदारा मिल्क सैन्टर का मालिक हैं। प्रार्थी की दुकान पर दिनांक 16.09.2023 को समय 9:10 ए एम पर निरीक्षण किया गया कि वह आम जनता को गाय का दुध बेच रहा था तथा संस्थान में सिल्वर

अति० जिला कलैक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

में लगभग 30 किलोग्राम दूध मौजूद था जो जांच में अमानक पाये जाने पर प्रार्थी संस्थान को नोटिस दिया गया है इस संबंध में निवेदन है कि प्रार्थी जमीदारा मिल्क सैन्टर द्वारा अलग अलग दूध बेचने वालों दूध खरीदता है प्रार्थी ने किसी भी तरह अमानक नहीं की है वल्कि प्रार्थी को जो दूध सप्लाई किया गया था इस प्रकार से प्रार्थी द्वारा किसी भी तरह से धारा 26 की उपधारा (II) का उल्लंघन नही किया है। अतः जवाव नोटिस प्रस्तुत कर निवेदन है कि आप द्वारा की गई कार्यवाही दफतर दाखिल फरमायी जावे। प्रार्थी को राहत दिलायी जावे।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **Cow Milk** का सैम्पल **K-1994** स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक– L.S./1518/Act/2023/1518 Dated 29.09.2023 **Substandard Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब के कथनों को ही दोहराते हुए आप द्वारा की गई कार्यवाही दफतर दाखिल फरमायी जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of **Cow Milk** bearing code No. K-1994 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is **Sub-Standard** as it does not conform to the prescribed satandard of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulations, 2011. की जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त **श्री जसकरण सिंह पुत्र श्री अमृतपाल सिंह (विक्रेता व मालिक) मै. जमींदारा मिल्क सेन्टर शॉप न. 5, 06 जेड करणपुर रोड, श्रीगंगानगर** को एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत अभियुक्त **श्री जसकरण सिंह पुत्र श्री अमृतपाल सिंह (विक्रेता व मालिक) मै. जमींदारा मिल्क सेन्टर शॉप न. 5, 06 जेड करणपुर रोड, श्रीगंगानगर** को **राशि रूपये 20,000–00 (अखरे रूपये बीस हजार मात्र)** के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
न्यायनिर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
श्रीगंगानगर।